रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 मई, 1981

ज्येष्ठ 7, 1903 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग—1

संख्या 1365/सत्रह—वि0—1—12-81

लखनऊ, 28 मई, 1981

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1981 पर दिनांक 12 मई, 1981 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन्, 1981 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1981

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1981]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1—(1) यह अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 5 सन् 1908 की धारा 139 का संशोधन

2—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 139 में, खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे, अर्थात्:—

"(ख) उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई भी व्यक्ति, या

(ग) ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त करे, इस निमित्त नियुक्त कोई भी व्यक्ति,"

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 1365/XVII-V-1—12-81

Dated Lucknow, May 28, 1981

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Civil Prakriya Sanhita (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1981 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 1981) as passed by the Uttar Padesh Legislature and assented to by the President on May 12, 1981 :

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1981

(U .P. ACT NO. 11 OF 1981)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Code of Civil Procedure, 1908 *in its application to Uttar Pradesh*

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Code of Civil Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1981.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 139 of Act no. 5 of 1908.

2. In section 139 of the Code of Civil Procedure, 1908, *for* clauses (*b*) and (*c*), the following clauses shall be substituted and be deemed always to have been *substituted,* namely :—

"(*b*) any person appointed in this behalf by a High Court or by a District Court ; or

(*c*) any person appointed in this behalf by such other Court as the State Government may, by general or special order, empower in this behalf ;"

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 16 स० (विधा०)—29-5-81—(637)—1981—750 (मेके०)।